महत्वपूर्ण

संख्या–641(3)/86–2018–153(सामान्य)/2017

प्रेषक,

डा0 बलकार सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

एवं खनिकर्म अनुभाग                                  लखनऊ दिनांकः 29 मार्च, 2018

विषयः– साधारण मिट्टी/साधारण मृदा की रायल्टी दर शून्य किये जाने सम्बन्धी उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनदेश संख्या–641(2)/86–2018–153(सामान्य)/2017, दिनांक 28.03.2018 के साथ संलग्न उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) (45वां संशोधन) नियमावली, 2018 को अधिसूचना सख्या–641/86–2018–153(सामान्य)/2017, दिनांक 27.03.2018 द्वारा प्रख्यापित किया गया है। लिपिक त्रुटिवश उक्त शासनादेश के साथ संलग्न नियमावली में प्रख्यापन की तिथि दिनांक 27.03.2018 के स्थान पर दिनांक 23.03.2018 अंकित हो गयी है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 28.03.2018 के साथ संलग्न उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) (45वां संशोधन) नियमावली, 2018 के प्रख्यापन का दिनांक 23.03.2018 के स्थान पर दिनांक 27.03.2018 पढ़ा जाए।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 बलकार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या–          /86–2018–तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, भूतत्व एंव खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 लखनऊ)
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आत्मा राम)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग
संख्या: 641 /86–2018–153(सा0)/2017
लखनऊ, दिनांक 27 मार्च, 2018

## अधिसूचना

खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या–67 सन् 1957) की धारा–15 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

### उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (पैतालिसवां संशोधन) नियमावली, 2018

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (पैतालिसवां संशोधन) नियमावली 2018 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

प्रथम अनुसूची का संशोधन — 2. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दी गयी प्रथम अनुसूची के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गयी अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात् :–

| स्तम्भ–1 विद्यमान प्रथम अनुसूची (नियम–21 देखिये) | | | स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रथम अनुसूची (नियम–21 देखिये) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| क्र0 सं0 | खनिज | स्वामित्व (रायल्टी) की दर | क्र0 सं0 | खनिज | स्वामित्व (रायल्टी) की दर |
| 1 | चूना पत्थर | रू0 150.00 प्रतिटन या रू0 275.00 प्रति घनमीटर | 1 | चूना पत्थर | रू0 150.00 प्रतिटन या रू0 275.00 प्रति घनमीटर |
| 2 | मार्बल या मार्बल चिप्स (संगमरमर) | रू0 206.00 प्रतिटन या रू0 405.00 प्रति घनमीटर | 2 | मार्बल या मार्बल चिप्स (संगमरमर) | रू0 206.00 प्रतिटन या रू0 405.00 प्रति घनमीटर |
| 3 | ईट बनाने की मिट्टी | रू0 54प्रति हजार बनी ईंट | 3 | ईट बनाने की मिट्टी | रू0 54प्रति हजार बनी ईंट |
| 4 | ईमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन) | | 4 | ईमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन) | |
| (i) | ग्रेनाइट (साइज्ड डायमेन्शल स्टोन) | | (i) | ग्रेनाइट (साइज्ड डायमेन्शल स्टोन) | |
| (क) | एक मीटर या ऊपर के साइज के | रू0 5000.00 प्रति घनमीटर | (क) | एक मीटर या ऊपर के साइज के | रू0 5000.00 प्रति घनमीटर |
| (ख) | एक मीटर या नीचे के साइज के | रू0 3000.00 प्रति घनमीटर | (ख) | एक मीटर या नीचे के साइज के | रू0 3000.00 प्रति घनमीटर |

(2)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (ii) | स्लैब्स और अश्लर सहित साइज्ड डायमेन्शल स्टोन (सैण्ड स्टोन, क्वार्टजाइट) | रू0 650.00 प्रति घन मीटर | (ii) | स्लैब्स और अश्लर सहित साइज्ड डायमेन्शल स्टोन (सैण्ड स्टोन, क्वार्टजाइट) | रू0 650.00 प्रति घन मीटर |
| (iii) | मिल स्टोन व हाथ चक्की (सैण्ड स्टोन, क्वार्टजाइट) | रू0 600.00 प्रति घन मीटर | (iii) | मिल स्टोन व हाथ चक्की (सैण्ड स्टोन, क्वार्टजाइट) | रू0 600.00 प्रति घन मीटर |
| (iv) | खण्डास और बोल्डर | | (iv) | खण्डास और बोल्डर | |
| (क) | ग्रेनाइट व डोलो स्टोन (25X25X25) सेमी0 तक साइज्ड का | रू0 125.00 प्रति घनमीटर | (क) | ग्रेनाइट व डोलो स्टोन (25X25X25) सेमी0 तक साइज्ड का | रू0 125.00 प्रति घनमीटर |
| (ख) | सैण्ड स्टोन और क्वार्टजाईट (25X25X25) सेमी0 तक साइज्ड का | रू0 100.00 प्रति घनमीटर | (ख) | सैण्ड स्टोन और क्वार्टजाईट (25X25X25) सेमी0 तक साइज्ड का | रू0 100.00 प्रति घनमीटर |
| (v) | बैलास्ट (गिट्टी) | | (v) | बैलास्ट (गिट्टी) | |
| (क) | ग्रेनाइट और डोलोस्टोन | रू0 160.00 प्रति घनमीटर | (क) | ग्रेनाइट और डोलोस्टोन | रू0 160.00 प्रति घनमीटर |
| (ख) | सैण्ड स्टोन और क्वार्टजाईट | रू0 110.00 प्रति घनमीटर | (ख) | सैण्ड स्टोन और क्वार्टजाईट | रू0 110.00 प्रति घनमीटर |
| (ग) | स्टोन डस्ट | रू0 100.00 प्रति घनमीटर | (ग) | स्टोन डस्ट | रू0 100.00 प्रति घनमीटर |
| 5. | मौरम | | 5. | मौरम | |
| (क) | नदी तल में उपलब्ध | रू0 150.00 प्रतिघन मीटर | (क) | नदी तल में उपलब्ध | रू0 150.00 प्रतिघन मीटर |
| (ख) | पहाड़ों के क्षरण के फलस्वरूप उत्पन्न लाल मौरम | रू0 75.00 प्रतिघन मीटर | (ख) | पहाड़ों के क्षरण के फलस्वरूप उत्पन्न लाल मौरम | रू0 75.00 प्रतिघन मीटर |
| 6. | साधारण बालू (विहित प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाले बालू से भिन्न) | | 6. | साधारण बालू (विहित प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाले बालू से भिन्न) | |
| (क) | प्रथम श्रेणी, (अनुसूची–दो में उल्लिखित जनपदों में उपलब्ध) | रू0 65.00 प्रति घनमीटर | (क) | प्रथम श्रेणी, (अनुसूची–दो में उल्लिखित जनपदों में उपलब्ध) | रू0 65.00 प्रति घनमीटर |
| (ख) | द्वितीय श्रेणी, (अनुसूची–दो में उल्लिखित जनपदों में उपलब्ध) | रू0 55.00 प्रति मीटर घन | (ख) | द्वितीय श्रेणी, (अनुसूची–दो में उल्लिखित जनपदों में उपलब्ध) | रू0 55.00 प्रति मीटर घन |
| 7. | बजरी (सिंगिल) | रू0 110.00 प्रति मीटर घन | 7. | बजरी (सिंगिल) | रू0 110.00 प्रति मीटर घन |
| 8. | साधारण मृदा (आरडिनरी क्ले) अथवा साधारण मिट्टी (आरडिनरी अर्थ) | रू0 30.00 प्रति मीटर घन | 8. | साधारण मृदा (आरडिनरी क्ले) अथवा साधारण मिट्टी (आरडिनरी अर्थ) | रू0 00.00 |
| 9. | पायरोफिलाइट | रू0 300.00 प्रति टन | 9. | पायरोफिलाइट | रू0 300.00 प्रति टन |
| 10. | डायस्पोर | रू0 500.00 प्रति टन | 10. | डायस्पोर | रू0 500.00 प्रति टन |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. | सिलिका सैण्ड | रू0 100.00 प्रति टन | 11. | सिलिका सैण्ड | रू0 100.00 प्रति टन |
| 12 | चाइना क्ले | खान पर खनिज मूल्य का 12प्रतिशत | 12 | चाइना क्ले | खान पर खनिज मूल्य का 12प्रतिशत |
| 13 | कैलसाइड | खान पर खनिज मूल्य का 12 प्रतिशत | 13 | कैलसाइड | खान पर खनिज मूल्य का 12प्रतिशत |
| 14 | क्वार्टज | रू0 100.00 प्रतिटन | 14 | क्वार्टज | रू0 100.00 प्रतिटन |
| 15 | कोई अन्य उपखनिज जिसके लिये स्वामित्व की दर विनिर्दिष्ट नहीं है। | खान पर बिक्री मूल्य का 10 प्रतिशत | 15 | कोई अन्य उपखनिज जिसके लिये स्वामित्व की दर विनिर्दिष्ट नहीं है। | खान पर बिक्री मूल्य का 10 प्रतिशत |

(राज प्रताप सिंह)
अपर मुख्य सचिव।